नं० हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
7.12.2021	पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 कैम्प खारी चारणान में पेश हुवी। वादी उपस्थित नहीं। स्टेट की ओर से पैरोकार राज उपस्थित। पक्षकार वादी के उपस्थित नहीं रहने से कोई कार्यवाही नहीं हो पायी। पत्रावली आयन्दा दिनांक 08.02.2022 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कोलायत जिला-बीकानेर	
08/02/2022	पत्रावली पेश हुवी। वकील वादी उपस्थित। स्टेट की ओर से पैरोकार राज उपस्थित। जवाब स्टेट की ओर से पेश हुआ। प्रति-वादी वकील को दिखायी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु रखी जाकर बहस समायत की गयी। वाद वादी बहक वादी खिलाफ प्रतिवादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि ग्राम रोही खारी चारणान तहसील कोलायत स्थित खसरा नं. 196 ता० 50 बीघा भूमि का वादी रामेश्वरलाल पुत्र सुगनाराम जाति कुम्हार निवासी खारी चारणान को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार (राजस्व) कोलायत को आदेश दिये जाते है कि वादी रामेश्वरलाल पुत्र सुगनाराम जाति कुम्हार निवासी खारी चारणान के खसरा नं. 196 ता० 50 बीघा का बतौर खातेदार राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद करें। विस्तृत निर्णय जुदागाना लिखवाया जाकर शामिल किया गया। वाद पत्रावली फैसल शुमार होकर हस्बजाब्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक — 08/02/2022 को सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी कोलायत जिला-बीकानेर	

Scanned with CamScanner